न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, कासगंज

पीठासीन अधिकारी–अनुतोष कुमार शर्मा (एच0जे0एस0) I.D No-UP6218

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–307/2026

(CNR NO- UPKR01000552-2026)

प्रेमसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी बाल्मिकी बस्ती, मौहल्ला जय–जयराम, थाना कासगंज, जिला कासगंज।

बनाम्

1. उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद कासगंज।

2. उ0 नि0 नरेश कुमार थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

मुकदमा अपराध संख्या–98/2026
धारा–21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट,
थाना–कासगंज, जिला कासगंज

09.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त प्रेमसिंह की ओर से मु0अ0सं0–98/2026, अन्तर्गत धारा–21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना–कासगंज, जिला–कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.02.2026 को वह व उ0नि0 श्री संजय सिंह मय हमराह का0 649 सुमन्त कुमार व का0 619 प्रिन्स कुमार मय गाडी सरकारी न० यूपी 87 जी 0147 मय चा0 का0० ठाकुरदास के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन, तलाश वॉछित वारंटी अपराधीगण, में अन्दर इलाका थाना क्षेत्र में थाना हाजा से रपट नं0 04 समय 00.29 बजे रवाना होकर मामूर थे जब हम लोग गस्त करते रेलवे स्टेशन से मिशन चौराहे की तरफ जा रहे थे तो देखा कि सामने से एक व्यक्ति आता दिखायी दिया जो हम पुलिस वालो को देखकर अचानक पीछे मुडकर तेज कदमो से जाने लगा हम पुलिस वालो को बदमाश शक होने पर हम पुलिस वालो ने आवश्यक बल प्रयोग कर व घेर घोट कर एक बारगी दबिस देकर पुराने रेलवे बिजली घर के पास से जाने वाले कच्चे रास्ते पर इस व्यक्ति को पकड़ लिया नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इस व्यक्ति ने अपना नाम प्रेम सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी बाल्मिकी बस्ती मौहल्ला जय जय राम थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज बताया भागने का कारण पूछा तो गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब उसके पास नशीला पदार्थ डायजापाम है है जिसकी बजह से पकड़े जाने के डर की वजह से भाग रहा था पकड़े गये व्यक्ति को धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की शर्तों से अवगत कराते हुए बताया कि आपको अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते है जिस पर पकड़े हुए व्यक्ति ने बताया कि साहब हम किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट को अपनी जामा तलाशी देना नहीं चाहते आप ही हमारी जामा तलाशी महोदया के मोबाइल नम्बर 7827113001 पर कॉल करके अवगत कराया गया तो श्रीमान ले लें हमे आप पर पर्ण विश्वास है। फिर भी उसके द्वारा तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अस्वस्थ्य होने के कारण आने में असमर्थता हैं उसके उपरान्त श्रीमान एसडीएम सदर महोदय के मोबाइल नम्बर पर सूचना देने का प्रयास किया गया किन्तु कोई सम्पर्क नहीं हो सका। इसके बाद मौके पर नियमानुसार धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत सहमति पत्र बनाकर तैयार कर मौके पर ही अलामात बनाये। आवागमन करने वाले व्यक्तियों को गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जिस पर हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म सम्बन्धी कोई वस्तु नहीं है। पकडे गये व्यक्ति उपरोक्त

Digitally signed by ANUTOSH KUMAR SHARMA
Date: 2026.03.09 16:20:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ मे लिये काली पालीथीन के अन्दर तीन डिब्बा डायजापाम पाउण्डर के बरामद हुए जिसे चैक किया गया तो सभी डिब्बा पर डायजीपाम पाउडर लिखा है पहनी पेन्ट की पीछली जेब से एक पुराना इस्तेमाली मोबाइल की– पैड जिस पर समसंग डुओस लिखा है बरामद हुआ। बरामद नशीला पाउडर डायजापाम को तोलने हेतु विवेचना किट मे रखी इलेक्ट्रीकल तराजू से बरामद नशीले पाउडर को तोला गया तो बरामद सफेद पाउडर डायजापांम मय डिब्बो के कुल वजन 545 ग्राम पाया गया। बरामद नशीला पाउण्डर डायजापाम के डिब्बों को एक कपड़े में मय काली पालीथिन के रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा मोबाइल को चिट बन्दी किया गया। पकडे गये व्यक्ति से नशीला पाउडर डायजापाम रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा पकड़े गये व्यक्ति से पूछा गया कि यह डायजापांम बरामद माल कहा से लाया है तो बताया कि साहब एक व्यक्ति से उसने रेलवे स्टेशन पर लिया था। जिसको आज उसे बस स्टैण्ड कासगंज पर बेचना था। इससे पहले ही आप पुलिस वालो ने उसे पकड लिया, शेष पूछताछ थाना पहुंचकर अकब से की जायेगी। पकडे गये व्यक्ति का यह जुर्म धारा–21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट की हद को पहुंचाता है। अतः पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 01.36 बजे हिरासत व बरामद माल कब्जा पुलिस लिया गया। दौराने बरामदगी व गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का भलि भॉति पालन किया एवं कराया गया। गिरफ्तारी मीमों मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर टार्च व मोबाइल की रोशनी में उसके द्वारा बोल बोल कर उ0नि0 श्री संजय सिंह से लैपटाप पर तैयार करायी गयी। फर्द पढकर सुनाकर हमराहीयान एवं अभियुक्त को पढकर सुनाकर अलामात बनवाये जायेगे। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अकब से थाना पहुंच कर परिजनो एवं उच्चधिकारी गणो को दी जायेगी।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह है और मुकदमा उपरोक्त में उसे पुलिस द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य झूठा फंसाया गया है। उसकी ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय व माननीय न्यायालय में अथवा अन्य किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है और न ही लम्बित है। अभियोजन कहानी के अनुसार कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–19.02.2026 समय 4.32 बजे थाना–कासगंज पर पंजीकृत कराई गयी। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब पंजीकृत कराई गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्राथमिकी में नहीं दर्शाया गया है। कथित घटना का कोई भी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है जो भी साक्षी दर्शाये गये है वे सभी पुलिसकर्मी है। उपरोक्त केस की कथित अपराध में धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने घटना से सम्बन्धित कोई कृत्य कारित नहीं किया है। उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई तथाकथित कोई नशीला पाउडर डायजापाम बरामद बरामद नहीं हुआ है, जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह पुलिस द्वारा अपना उच्चाधिकारियों को गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से झूठी दर्शायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–19.02.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त मजदूर व्यक्ति है एवं मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस पूछताछ की कहकर घर से बुलाकर थाने ले गयी और फर्जी बरामदगी दर्शाते हुए उक्त मामले में झूठा चालान कर दिया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त न तो ऐसा कोई कार्य करता है और ना ही कथित घटना से प्रार्थी का कोई लेना देना है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत होने के पश्चात जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकद्दमा उचित जमानत एवं मुचलके पर रिहा

करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अभियुक्त की ओर से अपने समर्थन में एक किता पेनड्राईव दाखिल की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्त के पास से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से किये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्र केस डायरी, थाना अख्या तथा पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से 545 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद होना दर्शाया गया है, जो कि वाणिज्यक मात्रा की श्रेणी में आता है। अभियुक्त के पास उक्त नशीले पदार्थ डायजापाम को रखने के सम्बन्ध में कोई लाईसेन्स नहीं था। थाने से प्राप्त आख्या के साथ संलग्न सी.सी. टी.एन.एस. के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमें के अतिरिक्त 4 अन्य मुकदमे पंजीकृत होना दर्शाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जहॉ तक बचावपक्ष द्वारा दाखिल सी.सी.टी.वी. फुटेज का प्रश्न है सी.सी.टी.वी फुटेज में चेहरा स्पष्ट नहीं कि किस व्यक्ति का है। सी.सी.टी.वी. फुटेज की वैधता विचारण के स्तर पर गुण–दोष पर देखी जा सकेगी। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर मत व्यक्त न करते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रेमसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अनुतोष कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, कासगंज
09.03.2026